प्रेषक,   पंजीकृत /अतिमहत्वपूर्ण

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सेवा में,

(1) कार्यालयाध्यक्ष,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0, कानपुर।

(2) समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय,
लखनऊ, दौराला मेरठ, वाराणसी एवं झाँसी।

(3) प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय पालीटेकनिक/ राजकीय महिला पालीटेकनिक
राजकीय चर्म संस्थान आगरा/कानपुर एवं एन0आर0आई0पी0टी0
इलाहाबाद।

(4) निदेशक/प्रधानाचार्य,
समस्त सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थान उ0प्र0 एवं
ए0आई0टी0एच0 कानपुर।

पत्र सं0 : 2581-2667/ई–स्था0/पेंशन/वेतन निर्धारण, कानपुर, दिनांक 14-05-2010

विषय: पेंशन स्वीकृति के पूर्व कर्मचारी के सेवारत रहते हुये वेतन निर्धारण की त्रुटियों को दूर किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0 21067–166/वि0नि0 वेतन निर्धारण दिनांक 30 मई 2008 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में प्रमुख सचिव वित्त के शासनादेश सं0 सा–3–35/दस–07–101(6)–2005 दिनांक 16.01.2007 में शासन ने व्यवस्था की है कि गलत वेतन निर्धारण परिलक्षित होने के कारण राज्य सरकार को वित्तीय क्षति होती है तो राज्य सरकार को वित्तीय क्षति से बचाने के उद्देश्य से उस तथ्य की जानकारी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को कराई जाये और कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त सुसंगत नियमों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाये।

"पेंशन प्रकरणों के निस्तारण करते समय शासन के हितों का विशेष ध्यान अवश्य रखा जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि शासन को किसी भी स्थिति में वित्तीय क्षति न हो।"

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 16.01.2007 के परिप्रेक्ष्य में ही निदेशक पेंशन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र सं0 101/पे0नि0/विविध/2007/2884 दिनांक–28.05.20007 द्वारा विभाग में समूह 'क' के अधिकारियों का वेतन निर्धारण में त्रुटियाँ परिलक्षित होने के कारण उल्लेख किया है कि वेतन निर्धारण की त्रुटियों के सेवारत रहते हुये सामान्य जाँच/आडिट के माध्यम से दूर किये जाने की व्यवस्था विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रभावी ढंग से लागू की जाये तथा वेतन निर्धारण संबंधी त्रुटियों का निराकरण सेवानिवृत्त तिथि से दो वर्ष पूर्व कराने का उत्तरदायित्व संबंधित विभागों का निर्धारित होगा।

शासन के उपरोक्त लिये गये निर्णयों अनुसार विभागाधीन समस्त राजकीय संस्थाओं एवं अनुदानित संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण उन्हें देय सलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नत वेतनमानों की जांच हेतु निदेशालय के पत्र सं0 21067–166/वि0नि0वेतन निर्धारण दिनांक 30 मई 2008 को जारी किया गया था जिसके आधार पर वित्त नियंत्रक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 कानपुर द्वारा सीधे सेवापुस्तिका मंगाकर उनके द्वारा सीधे जांच कर भेजे जा रहे है जिससे संबंधित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में इसका समावेश नहीं हो पाता है तथा शासनादेश का अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। अतः उक्त आदेश दिनांक 30.05.2008 को अतिक्रमित करते हुये निम्न व्यवस्था लागू की जाती है :–

1. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/राजकीय बहुधंधी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर अधिकारी/कर्मचारी जो आगामी पांच वर्ष में सेवानिवृत्त होने जा रहे है की एक सूची अविलम्ब राजपत्रित एवं अराजपत्रित अलग–अलग उपलब्ध करायें तथा आगामी दो वर्ष के अन्दर जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, की सेवापुस्तिका अपर निदेशक स्थापना प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 कानपुर को एवं अनुदानित बहुधंधी संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पांच वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समस्त कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराये तथा आगामी दो वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सेवापुस्तिका अपर निदेशक (अनुदान) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर जांच हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे शासनादेश में दी गयी व्यवस्था का परिपालन होते हुये समयान्तर्गत बिना किसी वित्तीय अनियमितता के पेंशनीय लाभों का स्वीकृतोंपरान्त भुगतान हो सके।

2. राजकीय बहुधंधी संस्थाओं एवं अशासकीय सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हे सलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य किये जाने हों, की स्वीकृति के पूर्व जांच अपर निदेशक (स्थापना/अनुदान) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर को भेजे ताकि उन पर उक्त अनुभाग के माध्यम से वित्त विभाग से जांचोपरान्त एकरूपता विषयक कार्यवाही हो सके तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक आदेश अथवा अधिक भुगतान की स्थिति में आदेश जारी किये जा सकें।

3. राजकीय बहुधंधी संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, पेंशन, प्रोन्नति वेतनमान संबंधी परिपत्र विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त नियंत्रक की सहमति के पश्चात जारी किये गये है तथा शासन द्वारा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को इस निमित्त उत्तरदायी ठहराया गया है अतएव समय समय पर जारी परिपत्र पूर्णतया स्पष्ट एवं नियमानुकूल है। अतएव उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उक्त परिपत्र पर निर्णय विभागाध्यक्षों द्वारा तत्कालीन वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी के परामर्श के उपरान्त जारी किये गये है यदि उन परिपत्रों पर कोई स्पष्टीकरण वांछित हो तो उक्त

के सम्बन्ध में अपर निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर को पुनः प्रेषित कर स्पष्ट कराकर अग्रेतर कार्यवाही करें।

सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रपत्र क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों द्वारा अपर निदेशक, (अनुदान) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर को पांच माह पूर्व प्रेषित किये जायेंगे जिन पर उनके द्वारा अग्रेतर कार्यवाही कर पेंशन स्वीकृताधिकारी/वित्त नियंत्रक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, को प्रेषित किये जायेंगें जिस पर वे शासन की वांछनानुसार तीन माह पूर्व पी0पी0ओ0 जारी करेंगें।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि राजकीय एवं सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के कर्मचारी की सेवापुस्तिका अपर निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 कानपुर को जांच हेतु उपलब्ध करायें,यदि पूर्व में वित्त नियंत्रक/वित्त अनुभाग द्वारा सीधे जांच कराई गयी है तो उनको पुनः अपर निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 कानपुर को प्रेषित करें ताकि जांचोपरान्त उस पर प्रशासनिक अधिकारी (विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष) द्वारा आदेश जारी किये जा सके।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवापुस्तिका को उपर्युक्त प्रक्रिया के बिना जांच के पेंशनीय लाभों हेतु प्रेषित किये जाने पर यदि त्रुटि पायी जाती है एवं उसके कारण शासन को वित्तीय क्षति/हानि होती है, तो उसके उत्तरदायी संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को माना जायेगा।

भवदीय,

(मधुकर)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 2668-85 /ई-स्था0/पेंशन/वेतननिर्धारण, तद्दिनांकः 14-05-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को पृ0सं0 21167--80/वि0नि0 वेतननिर्धारण दिनांक 30.05.2008 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ
3. निदेशक,आन्तरिक लेखा परीक्षा 516/217 न्यू हैदरा लखनऊ।
4. निदेशक पेंशन निदेशालय उ0प्र0 आठवा तल इन्दिरा भवन लखनऊ।
5. निदेशक शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 कानपुर।
6. वित्त नियंत्रक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
7. समस्त अधिकारी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
8. प्रकरण सहायक/स्थापना एवं अनुदान अनुभाग को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।

(मधुकर)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।